आर0ई0आर0– 33/16–17

रामेश्वर सिरा बनाम् नागेश्वर सिरा वगै0

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है।

आवेदक रामेश्वर सिरा, पे0–स्व0 पांचू सिरा, सा0–महागामा, थाना+ अंचल– महागामा, जिला–गोड्डा ने मौजा– महागामा नं0–700, जमाबंदी नं0–94, दाग नं0–345, रकवा–00–00–13 धूर भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु आवेदन दिया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वाद चलने योग्य नहीं है। आवेदक एक विकलांग व्यक्ति है तथा भीख मांग कर अपना जीवन–यापन करते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण आवेदक उक्त भूमि पर अबतक अपना कोई आवासीय मकान नहीं बना पाये हैं। प्रथम पक्ष के सदस्य ने द्वितीय पक्ष के सदस्यों के साथ एक लाख रूपये प्रति कट्ठा के दर से जमीन बेच दिया है और द्वितीय पक्ष के सदस्यों ने उक्त जमीन को ईंट की दिवार से घेर लिया तथा अपना आवासीय मकान बनाने की तैयारी में है।

अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने उक्त विविादित भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है उभय पक्षों के बिच रामेश्वर सिरा बनाम् नागेश्वर सिरा, माननीय सब–जज, गोड्डा के न्यायालय में दायर है, जिसमें वाद सुनवाई हेतु लंबित है। अतः इस पर सुनवाई करना नियमानुसार सही नहीं है। अतः वाद को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों के बीच स्वत्व से संबंधित मामला TS नं0–54/06 / 11–2008 रामेश्वर सिरा बनाम् नागेश्वर सिरा, माननीय सब–जज, गोड्डा के न्यायालय में विवादित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि को लेकर दायर है। C.P.C. 1908 की धारा 10 के अनुसार Stay of suit- No court shall proceed with the trail of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other Court in India having Jurisdiction to grant the relief claimed, or in any Court beyond the limits of India established or continued by the Central Government and having like Jurisdiction, or before the Supreme Court.

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद की प्रक्रिया स्थगित की जाती है।

लेखापित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Subhash chandra chaudhary
Advo. 27.12.2017.